



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236562  
CG-DL-E-14062022-236562

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2593]  
No. 2593]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  
(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 2721(अ).— विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 10(2) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के पत्र सं.जी.22(47) 155/ विस्फोटक दिनांक 01.04.2022 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण में सीबी-01 और सीबी-06 बर्थों को आईएमडीजी श्रेणी 1.4एस विस्फोटकों को समुद्र मार्ग से भारत से बाहर निर्यात करने के लिए अधिसूचित करती है।

[फा.सं.पीडी-24015/9/2022-पीडी.V भाग-1]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

---

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**  
(PORTS WING)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2022

**S.O. 2721 (E).**— In exercise of the powers conferred under Rule 10(2)(b) of the Explosives Rules 2008, the Central Government hereby notifies CB-01 and CB-06 berths at Jawaharlal Nehru Port Authority for exporting of IMDG Class 1.4S explosives out of India by sea in accordance with the conditions prescribed by the Petroleum and Explosives Safety Organisation vide its letter No.G.22(47)155/Explosives dated 01.04.2022.

[F. No. PD-24015/9/2022-PD.V Part-1]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.